

L. N. MEDICAL COLLEGE & RESEARCH CENTRE AND J. K. HOSPITAL BHOPAL

(Approved by NMC, New Delhi & Govt. of India & Affiliated to LNCT University)

J. K. Town, Sarvadharam C-Sector, Kolar Road, Bhopal – 462 042 MP India

Tele fax: 0755-4049610, 611,675, 612,667 Email:lnmcbhopal@lnctu.ac.in Website: www.lnctu.ac.in

Ref: LNMC&RC/Dean/2024/253

Dated: - 13/09/2024

प्रति,

संचालक चिकित्सा शिक्षा
सतपुडा भवन, भोपाल
मध्यप्रदेश

विषय :- सत्र 2024-25 में MBBS/MD/MS के शैक्षणिक शुल्क वावत।

महोदय,

निवेदन है कि हमारे महविद्यालय एलएन मेडिकल कॉलेज कोलार रोड भोपाल म.प्र. में सत्र 2024-25 प्रवेशित MBBS/MD/MS विषय के अंतर्गत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी हेतु सत्र 2024-25 के शैक्षणिक शुल्क का विवरण म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 2361/फीस/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/2024 दिनांक:-05/9/2024 के अनुसार निर्धारित कर गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

S.NO	Course Name	Total Fess	NRI MBBS
01	MBBS	1,757,000/-	5,271,000/-

S.NO	Course Name	Non NRI Fess	NRI Fess
01	MD Non Clinical	1,00,000/-	-----
02	MD Pathology	1,000,000/-	-----
03	MD Clinical	1,960,000/-	68,60,000/-
04	MD MED/Gynae	2,045,000/-	71,57,500/-
05	MD Radio/Skin	2,280,000/-	79,80,000/-

निवेदन है कि डी. एम. ई भोपाल की वेबसाइट पर म.प्र. निजी वि.वि. आयोग द्वारा अपलिखित फीस को अपलोड करने का कष्ट करे। ताकि काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को सम्बन्धित फीस की जानकारी मिल सकें।

धन्यवाद



Branch In-Charge
LNCT University, Bhopal

18/9

भवदीय
अधिष्ठाता
13/9/2024

एल.एन.मेडिकल कालेज भोपाल।
DEAN

L.N. Medical College & R.C.
Kolar Road, Bhopal



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र.

2361/शुल्क/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/2024

दिनांक 05/09/24

आदेश

प्रति

कुलसचिव,
एल.एन.सी.टी विश्वविद्यालय
भोपाल (म.प्र.)

विषय- शैक्षणिक सत्र वर्ष 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयावलीगत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (घ) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्राप्त शुल्क समीक्षा प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर समीक्षा की गई है। आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 24.08.2024 में की गयी अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में एवं आयोग की 192वीं सभा बैठक दिनांक 05.08.2024 में किये गये अनुमोदन उपरान्त विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है-

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण (राशि रूपये में)

S.No	Faculty/ Name of Institute	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee (15%)	Total Fee
1	LNMC	MBBS	1,900,000.00	1,493,450.00	263,550.00	1,757,000.00
2		MD Non Clinical	100,000.00	85,000.00	15,000.00	100,000.00
3		MD Pathology	1,050,000.00	850,000.00	150,000.00	1,000,000.00
4		MD Clinical	2,150,000.00	1,666,000.00	294,000.00	1,960,000.00
5		MD MED/Gynae	2,300,000.00	1,738,250.00	306,750.00	2,045,000.00
6		MD RADIO/SKIN	2,550,000.00	1,938,000.00	342,000.00	2,280,000.00
7	LNAC	BAMS	380,000.00	297,500.00	52,500.00	350,000.00
8		MD AYU CLINICAL	825,000.00	595,000.00	105,000.00	700,000.00
9		MD AYU NON- CLINICAL	675,000.00	510,000.00	90,000.00	600,000.00

[Signature]

[Signature]

//02//

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)

10	School of Agriculture	B.Sc.(H) Agriculture	80,000.00	63,750.00	11,250.00	75,000.00
11		M.Sc.(H) Agriculture	100,000.00	80,750.00	14,250.00	95,000.00
12	School of Journalism & Mass Communication	BJMC	35,000.00	27,200.00	4,800.00	32,000.00
13		MJMC	40,000.00	31,450.00	5,550.00	37,000.00
14	School of Pharmacy	D.Pharma.	115,000.00	97,750.00	17,250.00	115,000.00
15		B.Pharma.	110,000.00	76,500.00	13,500.00	90,000.00
16		M.Pharma.	120,000.00	80,750.00	14,250.00	95,000.00
17	School of Legal Studies	LLB	40,000.00	34,000.00	6,000.00	40,000.00
18		BA LLB	52,000.00	36,550.00	6,450.00	43,000.00
19		BBA LLB	52,000.00	38,250.00	6,750.00	45,000.00
20		LLM	60,000.00	51,000.00	9,000.00	60,000.00
21	School of Management & Commerce	MBA	85,000.00	69,700.00	12,300.00	82,000.00
22		MBA (Data Analytics & Visualisation)	85,000.00	72,250.00	12,750.00	85,000.00
23		BBA	40,000.00	34,000.00	6,000.00	40,000.00
24		BBA (Analytics/Hons)	42,000.00	34,000.00	6,000.00	40,000.00
25		B.Com	23,000.00	18,700.00	3,300.00	22,000.00
26		B.Com (Banking/CS/Ho ns)	35,000.00	29,750.00	5,250.00	35,000.00
27		M.Com	25,000.00	21,250.00	3,750.00	25,000.00
28		BHM (Hospital Mngt)	40,000.00	34,000.00	6,000.00	40,000.00
29		MHM (Hospital Mngt)	45,000.00	38,250.00	6,750.00	45,000.00
30	School of Computers & Science	BCA	50,000.00	42,500.00	7,500.00	50,000.00
31		BCA (DATA SC/AIML/Other Spl.)	50,000.00	39,950.00	7,050.00	47,000.00
32		MCA	60,000.00	51,000.00	9,000.00	60,000.00

[Signature]

[Signature]

//03//

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)

33		MCA (DATA SC/AIML/Other Spl.)	70,000.00	59,500.00	10,500.00	70,000.00
34	School of Humanities & Arts	MA	20,000.00	17,000.00	3,000.00	20,000.00
35	School of Technology	Diploma Engineering	35,000.00	29,750.00	5,250.00	35,000.00
36		B.Tech.	85,000.00	72,250.00	12,750.00	85,000.00
37		B.Tech. (CSE/CSE-AIML/DATA SC/CYBER SECURITY/OTHER SPL)	130,000.00	95,200.00	16,800.00	112,000.00
38		M.Tech.	75,000.00	63,750.00	11,250.00	75,000.00
39	Research	Ph.D	150,000.00	127,500.00	22,500.00	150,000.00
40	School of Hospitality & Tourism	BBA IHM	65,000.00	55,250.00	9,750.00	65,000.00
41		BHMCT	65,000.00	55,250.00	9,750.00	65,000.00
42		MHMCT	75,000.00	63,750.00	11,250.00	75,000.00
43	Faculty of Medical Sc.	M.Sc. (Medical)	75,000.00	63,750.00	11,250.00	75,000.00
44		PG Diploma in Acupuncture	10,000.00	8,500.00	1,500.00	10,000.00
45		BPES	30,000.00	21,250.00	3,750.00	25,000.00
46		MPES	40,000.00	34,000.00	6,000.00	40,000.00

- उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अकेक्षित वित्तीय आंकड़ों के आधार पर प्राथमिक रूप से की गई है।
- उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, एवं अन्य पाठ्यतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्कों का लेखा भी पृथक से संचारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संचारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संचारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- सत्र हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों एवं अकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा पूर्व वित्तीय वर्ष के शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जायेगा।

Min

schas

//04//

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

5. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है। उपरोक्त सूची में सम्मिलित ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु यह शुल्क आदेश लागू नहीं होगा जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित नहीं है।
7. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। यह शुल्क आदेश केवल विश्वविद्यालय द्वारा आयोग से धारा 9(क) एवं (ख) की अनुमति प्राप्त करके संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों हेतु लागू होगा।
8. विनियामक परिषदों की अनुमति से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2024-25 की अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में शुल्क आदेश लागू होगा।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)

(सुनील खरे)

प्रबंधक

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

भोपाल, दिनांक

पृ. क्रमांक...../म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2024

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय, म.प्र.।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
5. गार्ड फाईल।

..... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं सूचनार्थ।

प्रबंधक

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल